# अपील / एल.आर / 4401 / 2003 / भरतपुर
## भजनलाल बनाम चिरंजी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **एकल–पीठ**<br>**श्री सूरज भान जैमन सदस्य**<br><br>उपस्थित :<br>**(1) श्री जे0के0पारीक, अभिभाषक अपीलांट**<br>**(2) श्री के0के0 पुरोहित अभिभाषक रैस्पोडेंट**<br>...<br>**निर्णय दिनांकः 16–7–18**<br><br>यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1955 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 14–8–2003 विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।<br>2–अपील के संक्षप्त तथ्यों के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या एक चिरंजी ने हाल अपीलांट के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया जो दिनांक 4–9–01 को स्वीकार किया। इस आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांटस ने एक अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष पेश की जो दिनांक 14–8–2003 को खारिज की गयी जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।<br><br>2– दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।<br>3– दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांटस का मुख्य तर्क यह है कि अपीलांटस की खातेदारी व कब्जे काश्त के हाल खसरा नम्बर 181 / 0.31 वाके नगला सवाईराम तहसील कुम्हेर से 14 ऐयर कम करके रेस्पोडेंट संख्या एक के खाते में अंकित करने का विवादित आदेश प्रदान करके दोनो अधीनस्थ न्यायालयें ने भारी कानूनी त्रुटि की है। चूँकि अपीलांट के साबिक रकबे के अनुसार ही वर्तमान रकबा में सही अंकित किया है व रेस्पोडेंट संख्या एक की साबिक खातेदारी का कोई रकबा इस वर्तमान खसरा नंबर 181 में अंकित नही किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने जिस रिपोर्ट को आधार मानकर | सा |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | विवादित निर्णय प्रदान किया है वह रिपोर्ट पूर्णतया अपर्याप्त व अस्पष्ट है तथा यह रिपोर्ट बिना प्रार्थी अपीलांट को सुने बनाई गयी है। इस रिपोर्ट के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह कानूनी रुप से उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया है और नही कोई नोटिस ही अपीलांटस पर तामील हुआ है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील स्वीकार की जाकर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाकर रेस्पोडेंट संख्याएक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू राजस्व अधिनिमय को निरस्त करने का निवेदन किया।<br>4— इसके विपरीत विद्वानअभिभाषक रेस्पोडेंटस का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये है वे बावजूद तामील उपस्थित नही हुए। उनका यह भी तर्क है कि तामील सही हुई है या नही, यह अपील में नही देखा जवेगा। अपील में केस की मैरिटस को ही देखा जावेगा। मैरिट पर बहस करते हुए बताया कि नक्शे में अपीलांटस व रेस्पोडेट के खतोदारी के खसरा नंबर मिलते है व पास— पास है, पटवारी हल्का ने पूर्ण जॉच कर अपनी रिपोर्ट पेश की है। उपखण्ड अधिकारी ने रिकार्ड नक्शा व मौके के हिसाब से बाद जॉच आदेश देकर रेस्पोडेट के रकबे की पूर्ति की है। ऐसी स्थिति में दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश उचित कानून सम्मत है, जिनमें हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अन्त में अपील खारिज करने का निवेदन किया।<br>5— हमने उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या एक चिरंजी ने राज्य सरकार के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के समक्ष एक प्रार्थनापत्र | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 2–7–2001 प्रस्तुत होने पर वर्तमान अपीलांट को बतौर अप्रार्थीगण जोडा गया और बाद सुनवाई प्रार्थनापत्र धारा 136 दिनांक 4–9–01 को स्वीकार किया गया। इस आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांटस ने एक अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष पेश की जो दिनांक 14–8–2003 को खारिज की गयी । अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 2–7–2001 के आधार पर अपना आदेश पारित किया है। लेकिन उक्त रिपोर्ट बनाते समय पटवारी हल्का ने अपीलांटस की उपस्थिति में मौका निरीक्षण नही किया । मात्र राजस्व नक्शे व मिलान क्षेत्रफल को आधार बना कर रिपोर्ट दिनांक 2–7–2001 तैयार की गयी है। इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के पश्चात अपीलांटस को जो नोटिस जारी किये गये है उन पर घर पर चस्पान्दी का उल्लेख है, चूँकि घर पर नोटिस को तभी चस्पा किया जा सकता है , जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किये गये है उसके नही मिलने पर उसके पारिवार के लोगो से पूछ ताछ की जाती है तब कोई परिवार वाला भी नही मिलता है या नोटिस लेने से इन्कार किया जाता है या घर का बंद होना पाया जाता हो तो ही घर पर चस्पान्दगी की कार्यवाही जा सकती है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 5 नियम 17 की घोर अवहेलना की गयी है और अपीलांट पर बिना समुचित तामील हुए ही तामील मान कर व उसे सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया जाकर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तके विपरीत होने से दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।<br>6– जहॉ तक मैरिट का प्रश्न है, तहसीलदार ने जो रिपोर्ट परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जो कि पटवारी द्वारा तैयार की गयी है के आधार पर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपना निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह पाया जाता है कि खसरा नंबर 215 में ही खसरा नंबर 214 भी है | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | जो कि कुआ / बोरबैल हो सकता है ,भी रेस्पोडेंट का ही है। परन्तु इसके रकबे का उल्लेख पटवारी ने अपनी उपरोक्त रिपोर्ट में नही किया है जो कि साबिक खसरा नंबर 152 की अवस्थिति ( लोकेशन) में है और चूँकि खसरा नंबर हाल 215 से सटे हुए खसरा नंबर 182, 173, 216 212 भी हैं। इन खसरा नमबरों की तुलनात्मक रकबा हाल व पुराने की स्थिति व मेड की स्थिति भी देखी जानी चाहिए थी । उक्त तथ्य पटवारी की रिपोर्ट में विश्लेषित नहीं है। इसलिए पटवारी की रिपोर्ट को भी सांगोपांग नही कहा जा सकता है। अतः अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह विवादित भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड के अनुकूल नहीं है। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने भी उक्त तथ्यों पर गौर नही किया है और उन्होने भी अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों आदेश गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। परिणामस्वरुप यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।<br>7— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत अपील स्वीकार की जाती है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14—8—03 एवं उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4—9—2003 निरस्त किये जाते है साथ ही उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्र हो।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>( सूरज भान जैमन)<br>सदस्य | |

# अपील / एल.आर / 4401 / 2003 / भरतपुर
# भजनलाल बनाम चिरंजी

| तारीख हुक्म | **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |

| तारीख हुक्म | **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | (विजय कुमार सोनी)<br>सदस्य<br><br>इस बात से सहमत है कि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर, प्रकरण का राजीनामा अनुसार दावे का निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जावे।<br>4— दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | व अवलोकन किया गया। प्रकरण भूमि के विभाजन का है। दोनो पक्षों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। फलस्वरुप अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय, बस्सी का निर्णय दिनांक 21–8–09 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर का निर्णय दिनांक 21–12–10 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय, बस्सी को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व मण्डल में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर दावे का पुनः निर्णय पारित कर दिया जावे । राजीनामा जो इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, की मूल प्रति परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के साथ सलग्न कर उन्हे भेज दी जावे तथा राजीनामा की फोटो प्रति इस न्यायालय की पत्रावली के साथ रखी जावे। परीक्षण न्यायालय के समक्ष दावा संख्या 250/07 शीर्षक मंगला बनाम श्रीमती ग्यारसी व दावा संख्या 272/06 शीर्षक ग्यारसी देवी बनाम मंगला आदि प्रस्तुत हुए है। दोनो ही प्रकरणों में दोनो पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, बस्सी दोनो दावों को कन्सोलीडेट कर राजीनामा के आधार पर दावों का पुनः निस्तारण करेगे।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(विजय कुमार सोनी)** **(सत्यनारायण लाठी)**<br>**सदस्य** **सदस्य** | |

# अपील/एल.आर/4401/2003/भरतपुर
# भजनलाल बनाम चिरंजी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | संक्षेप में अपील के तथ्य अनुसार ग्राम कुराड तहसील सांगोद के साबिक खसरा नंबर 187 रकबा 23.08 बीघा, 188 रकबा 15.11बीघा जिसके हाल खसर नम्बर 709रकबा 0.4500, 714 रकबा 2.0600 व 715 रकबा 3.7900 कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 6.300 हैक्टेयर (जिसे निर्णय में विवादग्रस्त भूमि कहा जायेगा) मकबूल शाह की थी। मकबूल शाह की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत कुराड ने एक विरासतन इ0सं0 336 मकबूल शाह की पुत्री जिन्नत के नाम से दिनांक 8–8–80को स्वीकृत किया। जिसके आधार पर जिन्नत पुत्री मकबूल शाह का नाम Record of right में अंकित हो गया। जिन्नत ने खसरा नम्बर 187 रकबा 23.08 व खसरा नम्बर 188 रकबा 15.11 बीघा भूमि का विक्रय दो रजि. विक्रय पत्र दिनांक 5–7–90 द्वारा वादीगण/अपीलांटस के पक्ष में कर दिये। विक्रय पत्रों के आधार पर वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन सम्बन्धित तहसील कर्मचारियों ने इस आधार पर नही किया कि खातेदार जिन्नत के नाम के साथ राजस्व रिकार्ड में माफी चौकीदार अंकित है। इस पर वादीगण/अपीलांटस ने एक दावा संख्या 247/11 अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम शीर्षक देव किशन बनाम सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद के समक्ष प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी सांगोद ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25–3–11 द्वारा दावा स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस को विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित कर दिया तथा राजस्व रिकार्ड से माफी चौकीदार के अंकन को हटाने का आदेश दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25–3–11 की पालना में वादीगण/ अपीलांटस के नाम से इ. सं. 795 दिनांक 27–6–11 को स्वीकृत किया गया। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–3–11 के विरुद्ध एक अपील संख्या 355/13 शीर्षक इमामन आदि बनाम देव किशन आदि वर्तमान अपील के रैस्पोडेंट संख्या 1 मृतक इमामन व्दारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत की गयी कि मकबूल शाह के दो पुत्रियां जिन्नत–इमामन है। जिन्नत ने केवल अपने नाम का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा कर भूमि का विक्रय कर दिया। | |

# अपील/एल.आर/4401/2003/भरतपुर
# भजनलाल बनाम चिरंजी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | क्रेतागण ने अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा लिया है । इसलिए अपील को स्वीकृत किया जाकर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–3–11 निरस्त किया जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी ने उनके समक्ष अपील संख्या 355/13 में रैस्पोडेंट संख्या 1 व 2 जो प्रभावित पक्षकार थे की बिना तलबी किये अपने एक पक्षीय निर्णय दिनांक 24–3–14 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–3–11 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण को परीक्षण न्यायालय समक्ष प्रतिप्रेषित कर दिया।<br><br>3– परीक्षण न्यायालय ने प्रतिप्रेषित प्रकरण को इमामन बनाम देवकरण के नाम से दर्ज कर लिया। उक्त प्रकरण में इमामन ने एक प्रार्थना पत्र बावत उपस्थिति दर्ज करने व पत्रावली में कार्यवाही करने बावत प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र पर अपने निर्णय दिनांक 18–7–14 पारित करते हुए वादी/अपीलांट के वाद को अदम हाजरी में खारिज कर दिया तथा आदेश दिया कि पूर्व के निर्णय दिनांक 25–3–11 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 18–7–14 के विरुद्ध वादीगण/अपीलांट ने एक प्रथम अपील संख्या 268/14 उनवानी देव किशन बनाम स्व. इमामन आदि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व अपील अधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7–4–15 व्दारा अपील खारिज करदी। वादी/अपीलांट ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 18–7–14 एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 7–4–15 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।<br><br>4– दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की अपील के ग्राह्यता एवं स्टे प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी।<br><br>5– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में उपखण्ड अधिकारी सागोद के निर्णय व डिक्री दिनांक 25–3–11,राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 24–3–14, इन्तकाल संख्या 336 व 313 एवं जिन्नत व्दारा किये गये विक्रय पत्र की प्रतियॉ प्रस्तुत की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस की बहस है कि विवादित आराजी मकबूल शाह की भूमि थी। मकबूल शाल की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत कुराड ने इन्तकाल संख्या 336 दिनांक 8–8–80 को मकबूल शाह की पुत्री जिन्नत के नाम का स्वीकृत किया तथा इन्तकाल पर यह नोट लगाया गया कि "खातेदार फोत हो चुका है उसकी लडकियॉ जिन्नत–इमामन है, किन्तु नोटरी कोर्ट के प्रमाणीकरण के मुताबिक जिन्नत व्दारा ही मकबूल शाह का अन्तिम दिनों में सेवा करना व अन्त्येष्टि करना साबित है, अतः केवल जिन्नत का नाम मृतक के वजाय दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।" इस इन्तकाल संख्या 336 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इमामन की स्वीकृति से इन्तकाल सं.336 तस्दीक किया गया है। विवादित आराजी की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में इमामन के नाम होने से उसने विवादित आराजी का विक्रय वादीगण/अपीलांट को दिनांक 5–7–90 | |

# अपील/एल.आर/4401/2003/भरतपुर
## भजनलाल बनाम चिरंजी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | को कर दिया। तकनीकी अडचन के कारण वादी/अपीलांट ने परीक्षण न्यायायल के समक्ष एक दावा संख्या 247/11 उनवानी देवकिशन बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 88–89 प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25–3–11 व्दारा दावा स्वीकृत कर डिक्री कर दिया जिसकी पालना में इन्तकाल संख्या 795 दिनांक 27–6–2011 वादी/ अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत हो गया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25–3–11 के विरुद्ध एक मियाद बाहर अपील इमामन व्दारा राजस्व अपील अधिकारी कोटा के समक्ष अपील संख्या 355/13 प्रस्तुत की।उक्त अपील में वादीगण/अपीलांट जो रैस्पोडेंट संख्या 1 व 2 हैं,को बिना नोटिस दिये व बिना सुनवाई किये केवल रैस्पोडेंट संख्या 3 जिसकी अपीलांट–इमामन के साथ दुर्भि सन्धि थी,की स्वीकृति के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 24–3–14 व्दारा अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकृत करते हुए अपील स्वीकार करली तथा परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–3–11 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया। परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होने के लिए दिनांक 28–4–14 दिनांक निर्धारित कर दी। परीक्षण न्यायालय ने प्रतिप्रेषित प्रकरण को इमामन के प्रार्थना पत्र पर बावत उपस्थिति दर्ज करने व पत्रावली में कार्यवाही करने बावत प्रारंभ की तथा अपने निर्णय दिनांक 18–7–14 द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 28–4–14 को उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये थे।परन्तु वादीगण आज उपस्थित नही है, इसलिए दावा अदम हाजरी में खारिज कर दिया साथ ही यह आदेश पारित कर दिया कि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–3–11 में पूर्व की स्थिति कायम करदी जावे। अपीलीय न्यायलय के समक्ष वादीगण/अपीलांट जो रैस्पोडेंट संख्या 1 व 2 थे , परन्तु रैस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर दिया।अपील केवल रैस्पोडेंट संख्या तीन जिन्नत, जिसकी अपीलांट के साथ दुर्भि सन्धि थी, की स्वीकृति के आधार पर स्वीकार करली गयी। वादीगण/अपीलांट को यह जानकारी नही थी कि उन्हे दिनांक 28–4–14 को परीक्षण न्यायालय में उपास्थित होना है। समस्त कार्यवाही विधि के प्रावधानों के विरुद्ध तथा पद का दुरुपयोग किया गया है। वादीगण/ अपीलांट ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 18–7–14 के विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 268/14 राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादीगण दिनांक 28–4–14 को परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। उनका अन्त में तर्क है कि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि के विपरीत तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ, एक पक्षीय एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किये गये हैं। इसलिए दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावे।<br><br>6– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट ने बताया कि दोनो | |

## अपील/एल.आर/4401/2003/भरतपुर
## भजनलाल बनाम चिरंजी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री समवर्ती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18—7—14 की पालना की जा चुकी है, पालना कर पुनः जिन्नत के नाम से भूमि अंकित करदी गयी है। उनका यह भी तर्क है कि अपील ग्राह्य के लायक नहीं है तथा स्थगन पर भी आदेश इसलिए नहीं दिया जा सकता कि अपीलाधीन निर्णय की पालना हो चुकी है। अतः अधीनस्थ न्यायालयेां के निर्णय समवर्ती होने से इस द्वितीय अपील के माध्यम से इनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यक नहीं है। विकल्प में निवेदन किया कि अपील को इसी स्तर पर खारिज कर दिया जावे।<br><br>7— दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के निर्णय हेतु समस्त निर्णय एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अपील का एडमीशन स्तर पर ही निर्णय किया जाना न्यायोचित है। इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि इन्तकाल संख्या 336 ग्राम पंचायत कुराड द्वारा दिनांक 8—8—80 को मकबूल शाह की पुत्री जिन्नत के नाम से स्वीकृत किया गया है तथा मकबूल शाह की दूसरी पुत्री इमामन के बारे में ग्राम पंचायत ने नोट अंकित किया है जिससे यह स्पस्ष्ट होता है कि इमामन ने अपने पिता की भूमि में से हिस्सा लेना स्वीकार नही किया । जिन्नत ने विवादित आराजी का विक्रय वादीगण/अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 5—7—90 को कर दिया। तकनीकी अडचन दूर करने के लिए दावा संख्या 297/11परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दावा दिनांक 25—3—11 को स्वीकार होकर डिक्री हुआ है। जिसकी पालना में इन्तकाल संख्या 795 दिनांक 27—6—11 वादीगण/अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत हो गया। निर्णय व डिक्री दिनांक 25—3—11 के विरुद्ध अपील इमामन जो वर्तमान अपील में रैस्पोडटें संख्या एक है, के द्वारा प्रस्तुत की गयी। राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपील का निर्णय दिनांक 24—3—14 के व्दारा किया गया। उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलीय न्यायालय ने अपने न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग नही किया है।अपील में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रतिद्वन्दी पक्षकार थे। रैस्पोडेंट संख्या 3 जिन्नत जिसने वादीगण/अपीलांट को भूमि विक्रय की थी ,केवल नुमाइसी पक्षकार थी। अपीलीय न्यायालय ने रैस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को कोई सुनवाई हेतु नोटिस जारी नही किया है। अपीलीय न्यायालय ने अपील का निर्णय केवल रैस्पोडेंट संख्या 3 जिन्नत जो कि केवल नुमाइसी पक्षकार थी की स्वीकृति पर अपील स्वीकार करली। अपीलीय न्यायालय ने यह जानने का प्रयास नही किया कि रैस्पोडेंट संख्या 3 किस हैसियत से अपील स्वीकार करने की स्वीकृति दे रही है। उसका अपील में क्या हित व अधिकार है? जिन व्यक्तियों के बहुमूल्य अधिकार प्रभावित हो रहे थे ,उन्हे कोई सूचना जरिये नोटिस नही दी और अपीलीय न्यायालय ने अपने एक पक्षीय निर्णय से दिनांक 24—3—14 को अपील स्वीकार करली और परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 25—3—11 निरस्त कर दिया और प्रकरण रिमाण्ड कर आदेश दिया कि पक्षकार दिनांक 28—4—14 | |

# <u>अपील / एल.आर / 4401 / 2003 / भरतपुर</u>
# भजनलाल बनाम चिरंजी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | को परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवें। परीक्षण न्यायालय ने प्रतिप्रेषित प्रकरण को इमामन के प्रार्थना पत्र बावत उपस्थिति दर्ज करवाया जाना प्रारंभ किया तथा दिनांक 18–7–14 द्वारा दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दिनांक 28–4–14 जो अपील न्यायालय ने दिनांक निर्धारित की थी ,को वादी उपस्थित नहीं है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने यह जानने का प्रयास नही किया कि वादीगण/ अपीलांट अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे अथवा नही? बिना कोई तार्किक आधार के वादीगण का वाद खारिज कर दिया तथा दिनांक 25–3–11 से पूर्व की स्थति कायम रखने के आदेश दे दिये। तर्क के लिए यह मान भी लिया जावे कि दावे की पूर्व की स्थिति को कायम करने का आदेश धारा 144 के प्रार्थना पत्र पर दिया गया है तो भी धारा 144 के प्रार्थना पत्र से प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का नोटिस जारी किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार आवश्यक है। परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 18–7–14 की पालना में तुरंत पूर्व की स्थिति पर इन्तकाल सम्बन्धित तहसील के कर्मचारियों व्दारा स्वीकृत कर दिया गया जिसके अनुसार विवादित आराजी पुनः जिन्नत के नाम से दर्ज हो गयी। जिन्नत ने भूमि का विक्रय दिनांक 5–7–90 को कर दिया। उसी जिन्नत के नाम से विवादित आराजी पुनः कायम हो गयी। परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 18–7–14 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को भी अपील न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 7–4–15 द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। उन्होने यह जानने का कतई प्रयास नही किया कि वादीगण/अपीलांट को किसी न्यायालय ने नोटिस जारी किया है अथवा नहीं तथा दिनांक 28–4–14 जिस पर दोनो न्यायालयों के अपीलाधीन निर्णय निर्भर करते है उस दिन की जानकारी वादी/अपीलांट को थी अथवा नहीं।<br><br>8– दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के अवलोकन से यह भलीभॉति स्पष्ट हो जाता है कि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि एवं विधिक प्रक्रिया की अवहेलना कर निर्णय पारित किये है। जो यथावत रखे जाने योग्य नहीं हैं। अतः अपील एडमीशन के स्तर पर ही स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।<br><br>9– चूँकि परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 18–7–14 की पालना में दिनांक 25–3–11 से पूर्व की स्थिति कायम करने हेतु इन्तकाल दिनांक 28–8–14 को जिन्नत के नाम से स्वीकृत किया गया है, को भी निरस्त किया जाता है। विवादित आराजी पुनः वादीगण/अपीलांट के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित रहेगी जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144सीपीसी के अन्तिम निर्णय होने तक रहेगी, परन्तु वादीगण/अपीलांट विवादित आराजी का विक्रय नही करेंगे और ना ही विवादित आराजी के स्वरुप को यानी कि कृषि से अकृषि के रुप में परिवर्तित करेंगे। परिणामस्वरुप दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि वे निम्नांकित बिन्दुओं की जॉच कर पुनः पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर | |

**अपील/एल.आर/4401/2003/भरतपुर**
**भजनलाल बनाम चिरंजी**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रदान किया जाकर निर्णय पारित करें :–<br>1– वादीगण/अपीलांट देव किशन व रामेश्वर को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे।<br>2– इन्तकाल संख्या 336 दिनांक 8–8–1980 ग्राम पंचायत कुराड पर ग्राम पंचायत व्दारा लगाये गये नोट ( इमामन के सम्बन्ध में) है, से इमामन के लोकस स्टैण्डाई पर दावे पर क्या फर्क पड़ता है ?<br>3– इस बिन्दु की भी जॉच की जावे कि क्या इमामन व जिन्नत के बीच कोई दुर्भिसन्धि है, क्योकि जिन्नत ने अपील संख्या 355/13 में प्रकरण रिमाण्ड करने में अपनी सहमति दी है जबकि उसके द्वारा विवादित आराजी पूर्व में ही बेची जा चुकी है। विवादित आराजी में उसका कोई हित शेष नहीं था।<br>4– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी को अलग से दर्ज किया जाकर प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर निर्णित किया जावे।<br>5– दावा सं.247/11 में जिन्नत व इमामन के वारिसान को प्रतिवादी बना कर उनका कोई अनुतोष है, तो प्रतिवाद पेश कर अनुतोष प्राप्त करें ।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>( विजय कुमार सोनी) सदस्य      (मिरजू राम शर्मा) सदस्य | |

# अपील/एल.आर/4401/2003/भरतपुर
## भजनलाल बनाम चिरंजी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी (कृषि भूमि रुपान्तरण) बडीसादडी ने प्रार्थी/अपीलांट मिटठुलाल के आवेदन पत्र पर ग्राम मंगलवाड तहसील डूंगला की भूमि खसरा नम्बर 3365/21 रकबा 0.19 है0 में से 1900 वर्ग मीटर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ राजथान भू राजस्व नियम 2007 के अन्तर्गत दिनांक 26—3—09 को आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध अपीलांट ने धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र व धारा 5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र सहित राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिन्होने अपने आदेश दिनांक 31—5—2012 को अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी व्दारा पारित आदेश दिनांक 17—6—09 प्रकरण संख्या 1/09 निरस्त किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोडगढ व्दारा पारित उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।<br><br>3 अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थी/रैस्पोडेंट की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है, जिस पर उभयपक्ष के विव्दान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी ।<br><br>4— दौराने बहस रैस्पोडेंट के विव्दान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान के मध्य विवाद पैमाइश ,सीमा ज्ञान नपती का था जो अब ग्राम वासियान एवं मजबूत व्यक्तियों की समझाइश से उक्त विवाद समाप्त हो गया है एवं पक्षकारों के मध्य सहमति होकर मौके का विवादा समाप्त हो गया है । इसलिए प्रार्थी/ रैस्पोडेंट अब राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील को विड्रो कराना चाहते हैं तथा वर्तमान अपीलांट भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना कर रहा है। यह भी उल्लेख किया है कि रैस्पो0 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार | |

**अपील/एल.आर/4401/2003/भरतपुर**
**भजनलाल बनाम चिरंजी**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | किया जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष अपीलार्थी व्दारा प्रस्तुत अपील विड्रो करने के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या **4940/2012** उनवानी मांगीबाई बनाम विजयसिंह को स्वीकार फरमायी जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के आदेश दिनांक 31-5-2012 को निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी व्दारा पारित आदेश दिनांक 26-3-2009 प्रकरण संख्या 01/09 बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करें।<br><br>5- विव्दान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से रैस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत बहस का समर्थन किया गया।<br><br>7- हमने उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। | |